न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 57 / 2017 एल.आर.एक्ट

बन्नेसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा ।
2. गुलाबसिंह
3. करणीसिंह पिसरान भंवरसिंह जाति राजपूत इंदा
4. लक्ष्मणसिंह निवासी पांचू तहसील नोखा, जिला बीकानेर
5. रणजीतसिंह
6. गिरधारीसिंह

7. बागसिंह पिसरान अणदसिंह जाति राजपूत इंदा
8. गोविन्दसिंह निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर
9. पदमसिंह

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री दिनेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।
3– करणसिंह, अभिभाषक रेस्पो0सं0 2 ता 9

अपील संख्या 58 / 2017 एल.आर.एक्ट

रामसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोखा ।
2. गुलाबसिंह
3. करणीसिंह पिसरान भंवरसिंह जाति राजपूत इंदा
4. लक्ष्मणसिंह निवासी पांचू तहसील नोखा, जिला बीकानेर
5. रणजीतसिंह
6. गिरधारीसिंह

7. बागसिंह पिसरान अणदसिंह जाति राजपूत इंदा
8. सूरजसिंह निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर
9. गोविन्दसिंह
10. पदमसिंह

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री दिनेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।
3– करणसिंह, अभिभाषक रेस्पो0सं0 2 ता 10

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 26.3.2019

1. उक्त दोनों अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 17.1.2017, जिसके द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के दौरान ग्राम पांचू दक्षिण तहसील नोखा की भूमि में मौके पर सार्वजनिक चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवम् रास्तों को नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । उक्त दोनों अपीलों अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, तथ्य एवं पक्षकार समान है, इसलिए इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।
2. दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.8.16 राजस्व अभियान 2016 के अनुसरण में रास्ते चिन्हीकरण अभियान वर्ष 2016 के दौरान रेस्पोन्डेंट नं01 तहसीलदार (राजस्व) नोखा ने पत्रांक 24 दिनांक 11.1.2017 के संलग्न ग्राम पांचू दक्षिण तहसील नोखा के कुल 9 सार्वजनिक चालू स्थाई रास्तों के प्रभावित खसरा की 0.61 हैक्टेयर की 1.220 कि.मी. भूमि का चिन्हीकरण किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव मय रिपोर्ट पटवारी एवं निरीक्षक हल्का पांचू–बी, मौका नक्शा मय जमाबन्दी के उपखण्ड न्यायालय नोखा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/203/पार्ट/04 दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में तहसीलदार, नोखा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 17.1.2017 पारित ग्राम पांचू दक्षिण के खसरा नं0 6993/3872, 4010, 4005, 7676/4011, 7675/4011, 4009, 4004, 4006, 7679/4014 कुल 9 खसरों की 0.61 हैक्टेय भूमि के बाबत मौके पर चालू स्थाई रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं खातेदारों की भूमि में प्रचलित रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये । उपखण्ड न्यायालय नोखा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.2017 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है ।
3. उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । दोनों अपीलों में प्रार्थीगण गुलाबसिंह–करणीसिंह वगैह ने बतौर रेस्पोन्डेंट पक्षकार बनाये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिस पर आदेश दिनांक 7.8.2018 पारित कर इन्हें दोनों अपीलों में पक्षकार बनाया गया । अपील में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।
4. अभिभाषक अपीलान्ट्स का कथन है कि अपीलान्ट बन्नेसिंह की ग्राम पांचु दक्षिण के खेत खसरा नं0 4006 रकबा 5.99 हैक्टेयर, खसरा नं0 7679/4014 रकबा 0.75 हैक्टेयर, कुल 6.75 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा अपीलान्ट रामसिंह की ग्राम पांचु दक्षिण के खेत खसरा नं0 7676/4011 रकबा 6.59 हैक्टेयर, खसरा नं0 7449/4010 रकबा 0.16 हैक्टेयर, कुल 6.75 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें कोई कटाणी मार्ग अथवा अन्य किसी प्रकार का मार्ग नहीं चल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कटाणी मार्ग को कायम करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अथवा मुकदमा पेश नहीं हुआ है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आवेदन/प्रार्थना पत्र के अपीलाधीन आदेश पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के आदेश दिये हैं । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराने स्थाई मार्गो के बाबत तहसीलदार से कोई रिपोर्ट भी नहीं चाही गयी थी, किन्तु हल्का पटवारी के मार्फत तहसीलदार नोखा द्वारा बिना किसी आदेश के रास्तों का चिन्हीकरण कर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड न्यायालय नोखा को भिजवाया गया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को अपना जवाब एवं सबूत प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिध्दान्तों के विरुध्द है । रेस्पोन्डेंट के खेत में आने–जाने के लिए पुराने कटाणी रास्ते चले आ रहे हैं, जो नक्शे में अंकित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र की आड में नया रास्ता कायम किया है, जिससे खातेदारान में विवाद पैदा हो गया है। यह कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया, जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.17 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 2.5.17 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई कि उपखण्ड न्यायालय ने उसके खेत में नया रास्ता कायम करने हेतु आदेश दिया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर नकल आवेदन किया एवं दिनांक 4.5.17 को नकल प्राप्त की गयी । अपीलान्ट्स द्वारा प्रथम जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है । अतः मियाद कन्डोन करते हुए दोनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.17 निरस्त फरमाया जावे

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पांचु दक्षिण तहसील नोखा में राज्य सरकार के आदेशानुसार रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के प्रथम चरण के दौरान तहसीलदार, नोखा के प्रस्ताव पर उप खण्ड न्यायालय नोखा द्वारा नियमानुसार ही प्रचलित रास्तों को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे ।

6. अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 2 ता 10 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोन्डेंट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांचु दक्षिण के खसरा नं0 4005 तादादी 6.00 हैक्टेयर, खसरा नं0 4010 तादादी 11.19 हैक्टेयर, खसरा नं0 4012 तादादी 2.07 हक्टेयर, खसरा नं0 4015 तादादी 5.51 हैक्टेयर, खसरा नं0 4208 तादादी 0.19 हैक्टेयर, खसरा नं0 4209 तादादी 0.56 हैक्टेयर, खसरा नं0 6993/3872 तादादी 21.00 हैक्टेयर में स्थित है । प्रार्थीगण रेस्पोन्डेंट की उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए ग्राम पांचु से कूदसू जाने वाली सड़क से लगते हुए खसरा नं0 6993/3872 की पश्चिमी सीमा से चालू होकर खसरा नं0 4005 तक रास्ता लम्बे समय से चल रहा था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में अंकन नहीं था । राज्य सरकार ने ऐसे रास्तों का नक्शे व जमाबन्दी में अंकन करने बाबत परिपत्र दिनांक 10.8.16 जारी किये जाने पर तहसीलदार नोखा द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट्स की भूमि में आवागमन के लिए उपयोग हो रहे रास्ते का चिन्हीकरण किया जाकर नक्शा व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड न्यायालय नोखा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.2017 पारित कर रेस्पोन्डेंटस की खातेदारी भूमि में खसरा नं0 4005 मिन तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं0 4010 मिन तादादी 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं0 6993/3872 मिन तादादी 0.07 हैक्टेयर तथा अपीलान्ट्स की भूमि में खसरा नं0 4006 मिन तादादी 0.11 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 7679/4014 मिन तादादी 0.04 हैक्टेयर भूमि खसरा नं0 7676/4011 मिन में 0.22 हेक्टेयर कुल 0.61 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता अंकन करने का आदेश दिया गया है । उपखण्ड न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व अभियान 2016 में चिनहित किये गये रास्तों के सम्बन्ध में मजमे आम में सुनवाई के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमाई जावे ।

7. अपीलान्ट्स द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपखण्ड न्यायालय नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.17 से व्यथित होकर दिनाक 7.06.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुध्द इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है, जिसके अनुसार दिनांक 18.3.2018 तक अपील प्रस्तुत करने का समय था । परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 81 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम् के प्रार्थना एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शाये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में दोनों अपील अपीलान्ट्स मियाद में शुमार की जाती है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार राज्य सरकार के आदेश सं0 प.3(2) राज–6/2003पार्ट दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में राजस्व अभियान 2016 में रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के प्रथम चरण के अन्तर्गत रास्ते चिन्हीकरण अभियान वर्ष 2016 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) नोखा ने अपने पत्रांक 24 दिनांक 11.1.2017 के संलग्न ग्राम पांचू दक्षिण तहसील नोखा के रास्ता सम्बन्धी प्रभावित 9 खसरों की कुल 0.61 हैक्टेयर एवम् लम्बाई 1220 मीटर भूमि का चिन्हीकरण किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव मय रिपोर्ट पटवारी एवं निरीक्षक हल्का पांचू–बी, मौका नक्शा मय जमाबन्दी के उपखण्ड न्यायालय नोखा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/203/पार्ट/04 दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में तहसीलदार, नोखा द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु रास्ता चिन्हीकरण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 17.1.2017 पारित कर ग्राम पांचू दक्षिण के खसरा नं0 6993/3872, 4010, 4005, 7676/4011, 7675/4011, 4009, 4004, 4006, 7679/4014 कुल 9 खसरों की 0.61 हैक्टेयर भूमि के बाबत मौके पर चालू स्थाई रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं खातेदारों की भूमि में प्रचलित रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा दोनों अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

9. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रुप से यह आधार लिया है कि तहसीलदार नोखा द्वारा बिना किसी आदेश के रास्तों का चिन्हीकरण कर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड न्यायालय नोखा को भिजवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कटाणी मार्ग को कायम करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है अपीलान्ट्स को अपना जवाब एवं सबूत प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के आदेश दिये हैं ।

10. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में लिये गये आधार को मध्यनजर रखते हुए बहस पर मनन किया। तहसीलदार नोखा द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 के अन्तर्गत प्रथम चरण अभियान के अन्तर्गत चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही के अन्तर्गत ग्राम पांचू दक्षिण में चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु रिपोर्ट पटवारी व निरीक्षक हल्का पांचू–बी, नकल जमाबन्दी एवं नजरी नक्शा ग्राम पांचू दक्षिण दिनांक 11.1.2017 को उपखण्ड न्यायालय नोखा के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया जाने पर उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से राजस्व (ग्रुप–6)विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.8.16 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पांचू दक्षिण तहसील नोखा के काश्तकारों के खसरों में प्रचलित रास्तों को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए खसरा नं0 6993/3872, 4010, 4005, 7676/4011, 7675/4011, 4009, 4004, 4006, 7679/4014 कुल 9 खसरों की 0.61 हैक्टेयर भूमि के बाबत राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं खातेदारों की भूमि में प्रचलित रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये गये हैं । जबकि अभिभाषक अपीलान्ट्स का कथन है कि उन्हें रास्तों के चिन्हीकरण किये जाने के समय अथवा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया । हमने राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु जारी किये गये परिपत्र दिनांक 10.8.16 का अवलोकन किया । जिसमें राजस्थान भू–अभिलेख नियमावली के नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी.31 की प्रति समन द्वारा पक्षकारान को दिये जाने एवं इस दौरे की रिपोर्ट पर निरीक्षण कर निरीक्षक हल्का एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश है । परन्तु इस प्रकरण में रास्ता चिन्हीकरण/निरीक्षण से पूर्व पटवारी/निरीक्षक हल्का द्वारा पक्षकारान के निमित कोई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सूचना रिपोर्ट/ नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता है तथा तहसीलदार नोखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष रास्ता स्वीकृति हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

11. प्रकरण में ग्राम पांचू दक्षिण तह0 नोखा के रास्तों का चिन्हीकरण के सम्बन्ध में पटवारी एवं निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव को तहसीलदार भू.अ. नोखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा के समक्ष दिनांक 11.1.17 को भिजवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी नोखा ने आदेश दिनांक 17.1.17 पारित कर ग्राम पांचू तहसील नोखा के कुल 9 खसरों की 0.61 हैक्टेयर भूमि के बाबत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं खातेदारों की भूमि में प्रचलित रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये गये हैं, जबकि तहसील स्तर पर रास्ता चिन्हीकरण के दौरान एवम् उपखण्ड न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिध्दान्तों का भी उल्लंधन है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में ग्राम पांचू दक्षिण में प्रचलित रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा प्रचलित रास्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में तैयार किये गये प्रस्ताव के औचित्य की जांच किये बिना उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इससे अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन को बल मिलता है कि प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र की आड में नया रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी दशा में उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.17 उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अपीलार्थी बन्नेसिंह एवम् रामसिंह द्वारा प्रस्तुत दोनों अपील अपीलान्ट्स स्वीकार करते हुए उपखण्ड न्यायालय नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.17 निरस्त किया जाता है ।

12. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर